न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2022

1. रामप्रसाद पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तह0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. हंसराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तह0 भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. फूलवती पुत्री हंसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बेनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 106/102 के खसरा सं0 125 की 1.8090है0, खसरा सं0 126 की 2.6810है0, खसरा सं0 167/3 की 0.5440है0, खसरा सं0 195/3 की 0.7940है0 कुल 5.828है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हंसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हसराम का नाम कलन्जन किया जाकर वादी रामप्रसाद व प्रतिवादी सं0 2 वीरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि मे से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने बशर्ते कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2022

1. रामप्रसाद पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हंसराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. फूलवती पुत्री हसराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादीगण

दिनांक : 2.2.2022

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 106/102 के खसरा सं0 125 की 1.8090है0, खसरा सं0 126 की 2.6810है0, खसरा सं0 167/3 की 0.5440है0, खसरा सं0 195/3 की 0.7940है0 कुल 5.8280है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा गिरधारी की खातेदारी हुआ करती थी। गिरधारी के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हसराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाद मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी स 1 ता 3 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सख्या को स्वीकार करते हुए अपने प्रधान पत्र व दस्तावेजो के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी 4 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामप्रसाद पुत्र हंसराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जिगासरी छोटी के खाता सं0 106/102 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, सत्यप्रति जमाबंदी रोही जिगासरी

Scanned with CamScanner

छोटी खाता स0 16/13 संवत 2038 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी खाता सं0 167/150 संवत 2076-79 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जिगासरी छोटी के खाता सं0 106/102 संवत 2076-79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, सत्यप्रति जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी खाता सं0 16/13 संवत 2038 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही जिगासरी छोटी खाता सं0 167/150 संवत 2076-79 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण के अनुसार हंसराम के दो पुत्र रामप्रसाद व वीरसिंह व एक पुत्री फुलवती तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 106/102 के खसरा स0 125 की 1.8090है0, खसरा सं0 126 की 2.6810है0, खसरा सं0 167/3 की 0.5440है0, खसरा सं0 195/3 की 0.7940है0 कुल 5.8280है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हंसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हंसराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामप्रसाद व प्रतिवादी सं0 2 वीरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने वयदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 2.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner